

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

फा. 12-वि.निर्वा.-2016-चार-राज्यसभा-138.—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) एवं भारत निर्वाचन आयोग को निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं:—

1. क्रमांक H-11024(1)/2016 LEG-II, दिनांक 24 मई 2016
2. क्रमांक 318/CS/2/2016(1), दिनांक 24 मई 2016
3. क्रमांक 318/CS/2/2016(2), दिनांक 24 मई 2016

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 24 मई, 2016—ज्येष्ठ 3, 1938 (शक)

अधिसूचना

का. आ. (अ).—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में निम्नलिखित पंद्रह राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सतावन नए सदस्यों का, उन स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए जो (क) राज्य सभा के सदस्यों के उनकी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त होने पर रिक्त होने हैं; और (ख) कर्नाटक और राजस्थान, प्रत्येक से एक सदस्य के पदत्याग के कारण रिक्त हुए हैं, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा करते हैं:—

राज्य का नाम (1)	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या (2)	निवृत्ति की तारीख (3)
(1) आंध्र प्रदेश	4	21-06-2016
(2) तेलंगाना	2	21-06-2016

(1)	(2)	(3)
(3) छत्तीसगढ़	2	29-6-2016
(4) मध्यप्रदेश	3	29-6-2016
(5) तमिलनाडु	6	29-6-2016
(6) कर्नाटक	4	30-6-2016 (डा. विजय माल्या के पदत्याग के कारण तारीख 04-05-2016 से एक स्थान रिक्त).
(7) ओडिशा	3	01-07-2016
(8) महाराष्ट्र	6	04-07-2016
(9) पंजाब	2	04-07-2016
(10) राजस्थान	4	04-07-2016 (श्री आनंद शर्मा के पदत्याग के कारण तारीख 07-03-2016 से एक स्थान रिक्त).
(11) उत्तर प्रदेश	11	04-07-2016
(12) उत्तराखण्ड	1	04-07-2016
(13) बिहार	5	07-07-2016
(14) झारखंड	2	07-07-2016
(15) हरियाणा	2	01-08-2016

[फा. सं. एच 11024(1)/2016-विधायी II]

हस्ता./-

(डा. रीटा वशिष्ठ)

अपर सचिव, भारत सरकार.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2016—ज्येष्ठ 03, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 318-रा.स.-2-2016 (1).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 24 मई, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:—

सारणी

राज्य (1)	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या (2)
आंध्र प्रदेश	4
तेलंगाना	2

(1)	(2)
छत्तीसगढ़	2
मध्यप्रदेश	3
तमिलनाडु	6
कर्नाटक	4
ओडिसा	3
महाराष्ट्र	6
पंजाब	2
राजस्थान	4
उत्तर प्रदेश	11
उत्तराखण्ड	1
बिहार	5
झारखंड	2
हरियाणा	2

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

- | | | |
|------|---|---------------------------|
| (क) | नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख | 31 मई, 2016 (मंगलवार) |
| (खं) | नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 01 जून, 2016 (बुधवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख | 03 जून, 2016 (शुक्रवार) |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | 11 जून, 2016 (शनिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा | 13 जून, 2016 (सोमवार), और |
| (आ) | 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा. | |

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2016—ज्येष्ठ 03, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 318-रा.स.-2-2016 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के

स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 24 मई, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा:—

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है:—

सारणी

राज्य (1)	रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (2)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (3)
आंध्र प्रदेश	प्रभारी सचिव, आंध्र प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय.	श्री पी. बालाकृष्णमचार्युलु, उप सचिव, आंध्रप्रदेश विधान मण्डल सचिवालय.
तेलंगाना	सचिव, तेलंगाना विधान मण्डल सचिवालय.	डॉ. वी. नरसिम्हा चार्युलु, संयुक्त सचिव, तेलंगाना विधान मण्डल सचिवालय.
छत्तीसगढ़	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री चन्द्रशेखर गंगराडे, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा.
मध्यप्रदेश	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा	श्री ए. पी. सिंह, सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा
तमिलनाडु	सचिव, तमिलनाडु विधान सभा	थिरु. बी. सुब्रमण्यम, उप सचिव, तमिलनाडु विधान सभा.
कर्नाटक	सचिव (आई/सी), कर्नाटक विधान सभा	श्री एम. एस. कुमारस्वामी, उप सचिव, कर्नाटक विधान सभा.
ओडिसा	सचिव, ओडिसा विधान सभा	श्री भवानी शंकर सेनापति, संयुक्त सचिव, ओडिसा विधान सभा.
महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय.	(1) श्री सुभाषचन्द्र मायेकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय. (2) श्री कुर्तुराज जे. कुर्दातार्कर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय.
पंजाब	सचिव, पंजाब विधान सभा	अपर सचिव, पंजाब विधान सभा
राजस्थान	विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा	श्री महेश चन्द्र शर्मा, सहायक सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा.
उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	श्री अशोक कुमार सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा.
उत्तराखण्ड	सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा	श्री मदन सिंह कुंजवाल, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा.
बिहार	प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा	श्री पवन कुमार सिन्हा, अवर सचिव, बिहार विधान सभा.
झारखंड	प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा	श्री रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा.
हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा	श्री सुभाषचन्द्र, संयुक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 24th May, 2016—Jyaistha 3, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

S. O. (E).—In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the following 15 States to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, 57 new members for the purpose of filling the seats which are due to fall vacant (a) on the retirement of members of the Council of States, on the expiration of their term of office; and (b) resignation of one member each from Karnataka and Rajasthan, as per details given below:—

Name of State (1)	No. of Seats to be filled (2)	Date of retirement (3)
(1) Andhra Pradesh	4	21-6-2016
(2) Telangana	2	21-6-2016
(3) Chhattisgarh	2	29-6-2016
(4) Madhya Pradesh	3	29-6-2016
(5) Tamil Nadu	6	29-6-2016
(6) Karnataka	4	30-06-2016 (one seat vacant since 04-05-2016 due to resignation of Dr. Vijay Mallya)
(7) Odisha	3	01-07-2016
(8) Maharashtra	6	04-07-2016
(9) Punjab	2	04-07-2016
(10) Rajasthan	4	04-07-2016 (one seat vacant since 07-03-2016 due to resignation of Shri Anand Sharma)
(11) Uttar Pradesh	11	04-07-2016
(12) Uttrakhand	1	04-07-2016
(13) Bihar	5	07-07-2016
(14) Jharkhand	2	07-07-2016
(15) Haryana	2	01-08-2016

[F. No. H 11024(1)/2016-Leg.II]

Sd./-

(Dr. REETA VASISHTA)

Additional Secretary to the Government of India.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 24th May, 2016—Jyaistha 3, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318-CS-2-2016(1).—WHEREAS, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 24th May, 2016,

been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE:—

TABLE

State (1)	No. of Members to be elected (2)
Andhra Pradesh	4
Telangana	2
Chhattisgarh	2
Madhya Pradesh	3
Tamil Nadu	6
Karnataka	4
Odisha	3
Maharashtra	6
Punjab	2
Rajasthan	4
Uttar Pradesh	11
Uttrakhand	1
Bihar	5
Jharkhand	2
Haryana	2
Total . . 57 Seats	

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

- (A) appoints, with respect to the said election,—
- (a) the 31st May, 2016 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st June, 2016 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 3rd June, 2016 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 11th June, 2016 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
 - (e) the 13th June, 2016 (Monday), as the date before which the election shall be completed, and
- (B) fixed the hours from 9.00 A.M. to 4.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(K. AJAYA KUMAR)

Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 24th May, 2016—Jyaisth 03, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318-CS-2-2016 (2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby :—

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of India, published in the Gazette of India on 24th May, 2016 :—

TABLE

STATE (1)	Officer Designated as Returning Officer (2)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (3)
Andhra Pradesh	Secretary-In-Charge Andhra Pradesh Legislature Secretariat.	Shri P. Balakrishnamacharyulu, Depury Secretary, Andhra Pradesh Legislature Secretariat.
Telangana	Secretary, Telangana Legislature Secretariat.	Dr. V. Narasimha Charyulu, Joint Secretary, Telangana Legislature Secretariat.
Chhattisgarh	Principal Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha.	Shri Chandra Sekhar Gangrade, Additional Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha.
Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha.	Shri A. P. Singh, Secretary Madhya Pradesh Vidhan Sabha.
Tamil Nadu	Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly.	Thiru. B. Subramaniam, Deputy Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly.
Karnataka	Secretary, (I/C), Karnataka Legislative Assembly.	Shri M. S. Kumaraswamy, Deputy Secretary, Karnataka Legislative Assembly.
Odisha	Secretary, Odisha Legislative Assembly.	Shri Bhawani Sankar Senapati, Joint Secretary, Odisha Legislative Assembly.
Maharashtra	Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat.	1. Shri Subhashchandra Mayekar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat. 2. Shri Krutura J. Kurdatarkar, Depury Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat.

(1)	(2)	(3)
Punjab	Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat.	Additional Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat.
Rajasthan	Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	Shri Mahesh Chandra Sharma, Assistant Secretary (General), Rajasthan Legislative Assembly.
Uttar Pradesh	Principal Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha.	Shri Ashok Kumar Singh, Special Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha.
Uttarakhand	Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha	Shri Madan Singh Kunjwal, Joint Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha.
Bihar	Secretary-in-Charge Bihar Vidhan Sabha.	Shri Pawan Kumar Sinha, Under Secretary, Bihar Vidhan Sabha.
Jharkhand	Secretary-in-Charge Jharkhand Vidhan Sabha.	Shri Ranjit Kumar, Joint Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha.
Haryana	Secretary, Haryana Vidhan Sabha	Shri Subhash Chander, Joint Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

By order,

Sd./-

(K. AJAYA KUMAR)
Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.